

**कार्यालय**  
**निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,**  
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

संख्या-4368-76 / जी-78 / 2018-19 / अधि0

दिनांक 11 जून 2018

**-:आदेश:-**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) / 2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी 'ख' के निम्नांकित आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा० दीपिका शर्मा	कोटिसहसपुर/देहरादून (एलो०)	बरौथा/देहरादून	जनहित (धारा 7 क एव ख)
2	डा० सपना सिंह	ढालवाला/टिहरी	चौखाल/पौड़ी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
3	डा० ममता विश्वकर्मा	जिला चिकित्सालय आयुष विंग अल्मोड़ा	बेड़ा मझेड़ा/बागेश्वर	जनहित (धारा 7 क एव ख)
4	डा० ऋतु असवाल	दून चिकित्साल आयुष विंग देहरादून	उनियाल गांव/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
5	डा० विजय कुमार	सरस्वतीनगर/हरिद्वार	रातिरकेटी/बागेश्वर	जनहित (धारा 7 क एव ख)
6	डा० राकेश कुमार अग्रवाल	सालियर/हरिद्वार	अखोड़ी/टिहरी (एलो०)	जनहित (धारा 7 क एव ख)
7	डा० एन० सुजाता	ऋषिकुल कालेज हरिद्वार	डडोली/पौड़ी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
8	डा० ललिता जोशी	नगर/अल्मोड़ा	नाली/अल्मोड़ा	जनहित (धारा 7 क एव ख)
9	डा० आरती रानी सरवालिया	जिला चिकित्सालय आयुष विंग टिहरी	भवान/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
10	डा० राममनी दुबे	ऋषिकेश/देहरादून	सौण्डी/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
11	डा० प्रिया सिंह	जौलीग्राण्ट/देहरादून	नकोट/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
12	डा० अजयवीर सिंह	मसीत/ऊधमसिंहनगर	जखेड़ा/बागेश्वर	जनहित (धारा 7 क एव ख)
13	डा० सविता आर्या	जिला चिकित्सालय आयुष विंग ऊधमसिंहनगर	बगड़/नैनीताल	जनहित (धारा 7 क एव ख)
14	डा० ममता रानी	चकरपुर/ऊधमसिंहनगर	बाजन/अल्मोड़ा (एलो०)	जनहित (धारा 7 क एव ख)
15	डा० अन्जू त्रिपाठी	मंगलौर/हरिद्वार	अखोड़ी/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
16	डा० सविता कोटियाल	चिड़ियामण्डी/देहरादून	मेण्डाल/देहरादून	जनहित (धारा 7 क एव ख)
17	डा० राकेश कुमार	जिला चिकित्सालय आयुष विंग चम्पावत	जिला चिकित्सालय आयुष विंग रुद्रपुर/ऊधमसिंहनगर	अनुरोध (धारा 13) एव 17 (1) ख(एक)
18	डा० अंकिता शाह	जिला चिकित्सालय आयुष विंग/अल्मोड़ा	दून चिकित्साल आयुष विंग देहरादून	अनुरोध (धारा 13) एव 17 (1) ख(दो)
19	डा० अन्जुला मुरारका	सुरीखोल तराकोट/उत्तरकाशी	कोटिसहसपुर/देहरादून	अनुरोध (धारा 13)
20	डा० शिवानी पाण्डेय	किनगोड़ीखाल/पौड़ी	बानठोक/अल्मोड़ा	अनुरोध (धारा 13) एव 17 (1) ख(चार)

अ. कृष्ण -

21	डा0 शशि जोशी	थौलधार / टिहरी	ढालवाला / टिहरी	अनुरोध (धारा 13) एवं 17 (1) ख(चार)
22	डा0 अजय चमोला	किलकिलेश्वर / टिहरी	चिड़ियामण्डी / देहरादून	अनुरोध (धारा 13)
23	डा0 दिवाकर शर्मा	स्यालना / उत्तरकाशी	जौलीग्राण्ट / देहरादून	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
24	डा0 कौशल कुमार धस्माना	भैरपुर लालपानी / पौड़ी	मंगलौर / हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
25	डा0 भरत कुमार	औणी / पौड़ी	जिला चिकित्सालय आयुष विंग टिहरी	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
26	डा0 विजय सिंह राणा	बनचुरी मोटाढाक / पौड़ी	सालियर / हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
27	डा0 नवल किशोर पाण्डेय	डुमुक / चमोली	सरस्वतीनगर / हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
28	डा0 लक्ष्मण सिंह	वाण / चमोली	ऋषिकेश / देहरादून	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
29	डा0 सुखदेव सिंह	रूग गर्ब्याल / पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय आयुष विंग अल्मोड़ा	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
30	डा0 पंकज राय	होकरा / पिथौरागढ़	चकरपुर / ऊधमसिंहनगर	जनहित (धारा 10 क एवं ख)
31	डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी	खालसरमोला / चमोली	सिमलना / पौड़ी	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ) एवं 17ख(चार)
32	डा0 नितेश नौटियाल	खाण्ड / उत्तरकाशी	पोरा / उत्तरकाशी	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ))
33	डा0 सुभाष चौहान	भुटाणू / उत्तरकाशी	चिंवा / उत्तरकाशी	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ))
34	डा0 देवेन्द्र सिंह	टंगणी / चमोली	मौल्यासेरा / टिहरी	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ))
35	डा0 मीनाक्षी खण्डूड़ी	नन्दप्रयाग / चमोली	थौलधार / टिहरी	अनुरोध (धारा 17(1)(ख)(छ))

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग, नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुये ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।
- स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


५

(प्रो0 अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्वाला देहरादून।
5. परिसर निदेशक ऋषिकुल/गुरुकुल कालेज हरिद्वार।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
8. विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

  
(प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक